न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 46/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/64

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.सलेमान खां उर्फ सुलेमान पुत्र हकीम उर्फ हकीमा		1.आकू पुत्र मेहरे खां
2.रहमान खां पुत्र हकीम उर्फ हकीमा		2.इबरा पुत्र मेहरे खां
3.बाबुखां उर्फ मुछे खां पुत्र हकीम उर्फ हकीमा जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा तहसील पचपदरा		3.कादरा पुत्र मेहरे खां
		4.आरब खां पुत्र मेहरे खां
		5.आरब खां पुत्र वली खां
		6.खतू पत्नी वली खां
		7.बरगत खां पुत्र साकर खां
		8.सरपंच ग्राम पंचायत नवोडा बेरा
		9.जोसफ खां पुत्र साकर खां
		10.मलू पत्नी लतीफ खां जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा
		11.मेहबूब खां पुत्र हाजी बगते खां जाति मुसलमान निवासी सांबरसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
		12.बिस्मला खां पुत्र धोले खां जाति मुसलमान निवासी जवाहरपुरा
		13.लाली पत्नी निजाम खां जाति मुसलमान निवासी जवाहरपुरा
		14.नसीर खां पुत्र आकू खां जाति मुसलमान निवासी नवोड़ा बेरा
		15.दल्ली पत्नी हनीफ खां जाति मुसलमान निवासी भगतलाई
		16.निजामी पत्नी नसीर खां जाति मुसलमान निवासी भगतलाई
		17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री चैलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 12,13 एवं 15

3.श्री उमरदीन गेहर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 09 से 11 व 14,16

4.विप्रार्थी संख्या 08 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक– 21.11.2024

1.संक्षेप में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कर विवादित भूमि ग्राम जवाहरपुरा की खेत खसरा संख्या 1027,1028,1029,1093,4284/1317 व ग्राम नवोड़ा बेरा की खसरा संख्या 4189/955,4191/955,4293/1324,4295/1324,1333 व ग्राम गंगापुरा की खसरा संख्या 2183/547 एवं ग्राम भगतलाई की खसरा संख्या 2184/547,2185/547 भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी का मूल ग्राम पाटोदी उत्तर था,जो बाद में नवसृजित राजस्व ग्राम बनने के कारण वर्तमान राजस्व ग्राम में विवादित आराजी अवस्थित है। विवादित आराजी वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी पिता हकीम खां वल्द आदम खां के नाम दर्ज थी तथा प्रार्थीगण के पिता हकीम खां के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम भरा गया। विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट से आदिनांक प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार बिना किसी सक्षम न्यायालय/आदेश के बिना रेकर्ड से हटाया जाकर विप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया गया। जबकि विप्रार्थी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। विप्रार्थी द्वारा नाजायज रेकर्ड में इन्द्राज का गलत फायदा उठाते हुए विवादित आराजी मे बेचान किया गया तथा अजनबी क्रेता अवैध बेचानपत्र के आधार पर प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर भी उतारू है। इस कारण प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें के लिए स्थगन आदेश जारी करने बाबत अनुतोष चाहा गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखतें हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनतें हुए विवादित भूमि पर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.2.2023 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशंय की जारी गई कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थीगण की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरीए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्टर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 12,13 एवं 15 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा आवेदन–पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा श्री उमरदीन मेहर अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी संख्या 09 से 11 व 14,16 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 08 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थीगण को सफल होने की पूरी संभावना है। विवादित आराजी ग्राम जवाहरपुरा की खेत खसरा संख्या 1027, 1028, 1029, 1093,4284/1317 व ग्राम नवोड़ा बेरा की खसरा संख्या 4189/955, 4191/955, 4293/1324, 4295/1324,1333 व ग्राम गंगापुरा की खसरा संख्या 2183/547 एवं ग्राम भगतलाई की खसरा संख्या 2184/547,2185/547, भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी का मूल ग्राम पाटोदी उत्तर था,जो बाद में नवसृजित राजस्व ग्राम बनने के कारण वर्तमान राजस्व ग्राम में विवादित आराजी अवस्थित है। विवादित आराजी वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी पिता हकीम खां वल्द आदम खां के नाम दर्ज थी। वक्त सेटलमेंट से आदिनांक विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीमखां व उसके बाद प्रार्थीगण का ही कब्जा–काश्त चला आ रहा है। विवादित आराज़ी को प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम खां द्वारा बेचान नहीं की गई थी तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा बेचान की गई है। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम खां के देहान्त होने पर फौतदगी नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दायर किए गए। इस प्रकार विवादित आराजी के प्रार्थीगण को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे। उक्त खातेदारी इन्द्राज संवत 2038–2041 की जमाबंदी में यथावत रूप से चलती रही,मौके पर कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से निरंतर सतत बतौर मालिक नियमित रूप से प्रार्थीगण का रहा। प्रार्थीगण गरीब व अनपढ खेतीहार है। इस कारण राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण की खातेदारी होने के उपरांत भी बिना किसी समक्ष न्यायालय के आदेश/बिना बेचानपत्र के प्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त करते हुए विप्रार्थी की खातेदारी विवादित आराजी में दर्ज की गई,जिसका विधि में निहित प्रावधानों के विपरीत इन्द्राज किया गया। जिसका प्रार्थीगण को पूर्व में ज्ञान नहीं था। विप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने एवं बेचान करने की धमकिया दिए जाने पर प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से सर्म्पक किए जाने ज्ञान हुआ कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में नाम दर्ज नही होकर विप्रार्थी की खातेदारी में नाम दर्ज है,जो कि अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त की गई है। विप्रार्थी द्वारा अवैध प्रविष्टि के आधार पर विवादित आराजी मे बेचान भी किया गया है तथा आगे ओर बेचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आवश्यक है,यदि स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है,तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 से 7 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है,क्योंकि विवादित आराजी का मूल ग्राम पाटोदी उत्तर नहीं होकर पाटोदी था तथा सेटलमेंट के कई वर्षो बाद राजस्व ग्राम पाटोदी उत्तर बना था। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम पुत्र आदम खां मछा सिन्धी मुसलमान था तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के हकपूर्वाधिकारी हकीम पुत्र जादम खां टावरी सिन्धी मुसलमान थे। इस प्रकार प्रार्थीगण व विप्रार्थी दोनो पक्षो की गौत्र भी अलग अलग थी। वक्त सेटलमेंट से आदिनांक विवादित आराजी पर विप्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी आदम वल्द जामद खां टावरी सिन्धी मुसलमान का कब्जा–काश्त था,तदोपरांत विप्रार्थी का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के हकपूर्वाधिकारी का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त होने के कारण ही विवादित आराजी उनकी खातेदारी में दर्ज करते हुए पर्चा लगान जारी हुआ था,क्योंकि सेटलमेंट के समय मौके पर कब्जा–काश्त के आधार पर ही खातेदारी इन्द्राज हुई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के हकपूर्वाधिकारी आदम वल्द जादम खां का ही कब्जा काश्त होने के कारण ही पर्चा लगान जारी हुआ था। विवादित आराजी के खातेदार आदम पुत्र जादम खां का देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था,लेकिन आदम वल्द जामद खां के वारिस मवेशी पालन करने के कारण ग्राम से बाहर मवेशी चराने गए हुए थे। जिसका प्रार्थीगण द्वारा नाजायज फायदा उठाते हुए तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए विवादित आराजी अपनी खातेदारी में दर्ज करवा दी गए। जिसका बाद में विप्रार्थी को पता चलने पर उन द्वारा तहसीलदार साहब के समक्ष शिकायत की गए,जिसकी जांच होने पर सामने आया कि विवादित आराजी मे प्रार्थीगण का गलत नाम दर्ज किया गया है,जो तहसीलदार साहब द्वारा विवादित आराजी में अवैध प्रविष्टि को हटाते हुए विप्रार्थी की खातेदारी दर्ज की गई। उक्त रेकर्ड में प्रविष्टि को सुधार करने का तहसीलदार साहब को अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार विप्रार्थी ही विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे से विप्रार्थी संख्या 9 से 16 को बेचान किया गया,जिसके नाम भी नामान्तकरण भरा गया। इस प्रकार विवादित आराजी पर विप्रार्थी का ही हक हकूक व कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है,क्योकि प्रार्थीगण द्वारा लगभग 40 वर्षो के बाद विवादित आराजी के संबध में उजर–एतराज उठाया गया है,इतने वर्षो तक प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के संबध मे कोई चाराजोही नही की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में कोई हक निहित नही है। विवादित आराजी के विप्रार्थी रिकार्डेड

न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा (राज.)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदार होने के उपरांत भी स्थगन आदेश जारी किया गया है। जिसके कारण विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। इस कारण प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही बनकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.विप्रार्थी संख्या 9 से 11 व 16 एवं 16 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर पेश किए जाने के कारण खारिज योग्य है,क्योकि विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट से लेकर आदिनांक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के हकपूर्वाधिकारी आदम खां वल्द जादम खां टावरी सिन्धी मुसलमान का कब्जा काश्त होने के कारण उनके नाम पर्चा लगान जारी किया गया तथा खातेदारी अधिकारी प्रदान किए गए। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम खां वल्द आदम खां भंछा मुसलमान व विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के हकपूर्वाधिकारी आदम खां पुत्र जादम खां टावरी सिन्धी मुसलमान थे। इस प्रकार दोनो ही अलग अलग गौत्र से है,जिसका आपस मे कोई संबध नही है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण की अवैध प्रविष्टि हटाने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार साहब को प्राप्त था,क्योकि प्रार्थीगण की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर विवादित आराजी मे नामान्तकरण भरावा दिया गया था। जिसका पता चलने पर तहसीलदार साहब द्वारा दुरूस्ती की गई। विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार से ही विप्रार्थी द्वारा भूमि खरीद की गई तथा उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण विप्रार्थी के पक्ष में भरा गया तथा विप्रार्थी का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार विप्रार्थी सदभाविक क्रेता है,जिनके विरूद्व स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है,लेकिन स्थगन आदेश पारित किए जाने के कारण विप्रार्थी को क्षति हो रही है। प्रार्थीगण स्थगन आदेश पाने के हकदार नही होने के उपरांत भी स्थगन आदेश जारी किया गया,जो कि विप्रार्थी के हको के साथ भारी कुठराधात हुआ है। अतं मे निवेदन किया कि विवादित आराजी पर जारी स्थगन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

6.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम जवाहरपुरा की खेत खसरा संख्या 1027, 1028, 1029, 1093,4284/1317 व ग्राम नवोड़ा बेरा की खसरा संख्या 4189/955, 4191/955, 4293/1324, 4295/1324,1333 व ग्राम गंगापुरा की खसरा संख्या 2183/547 एवं ग्राम भगतलाई की खसरा संख्या 2184/547,2185/547 भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

7.(i) सर्वप्रथम प्रथम द्रष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबंध में विवेचन किया जा रहा है,जिसमें पाया कि मूलवाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर प्रार्थी पक्ष द्वारा मुख्य उजर उठाया कि विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हकीम खां वल्द आदम खां का कब्जा काश्त होने के कारण उनकी खातेदारी में दर्ज हुई। तत्पश्चात प्रार्थीगण के पिता हकीम खां वल्द आदम खां के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम दायर हुआ,तत्पश्चात बिना किसी समक्ष आदेश के विवादित आराजी में प्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त करते हुए विप्रार्थी की खातेदारी दर्ज की गई। उक्त अवैध प्रविष्टि बिना समक्ष आदेश के किए जाने के कारण विलोपित करवाते हुए विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में इन्द्राज करने की मांग की गई। इसके विपरीत विप्रार्थी पक्ष का उजर है कि विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट से विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के हकपूर्वाधिकारी आदम खां वल्द जादम खां टावरी सिन्धी मुसलमान का कब्जा काश्त होने के कारण ही पर्चा लगान जारी किया जाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। तत्पश्चात आदम खां वल्द जादम खां का देहांत होने पर प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से मिलीभगत करते हुए खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा दी गई। जब विप्रार्थी को पता चला तो उन द्वारा तहसीलदार साहब के समक्ष शिकायत किए जाने पर बाद जांच प्रार्थीगण की अवैध प्रविष्टि को हटाते हुए विप्रार्थी की खातेदारी बहाल की गई,जो कि तहसीलदार साहब के क्षेत्राधिकार में होने के कारण विधि सम्मत आदेश किया जाना विप्रार्थी पक्ष द्वारा बताया गया है।

इस प्रकार दोनो पक्षो के अपने अपने उठाए गए उजर–एतराज के आधार पर न्यायालय हाजा के सामने मुख्य विवाद का बिन्दु सामने यह आया है कि विवादित आराजी के संबध में पारित नामान्तकरण संख्या 847 को लेकर मुख्य विवाद है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तकरण के जरिए हुए प्रविष्टि को अवैध बता रहे है। जबकि विप्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त नामान्तकरण के जरिए हुए प्रविष्टि को सही बता रहे है। उक्त बिन्दु का निस्तारण हस्तगत प्रकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता है,क्योकि मुख्य विवाद के बिन्दु का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है,क्योकि विप्रार्थी भूमि मे बेचान हो रखा है,जिसे स्वंय विप्रार्थी पक्ष द्वारा स्वीकार भी किया गया है। यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि मे से आगे ओर बेचान हो जाता है,तो प्रार्थी पक्ष को क्षति होनी की संभावना रहेगी। इस प्रकार यदि स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है,तो प्रार्थी के हितो के साथ कुठराधात होगा तथा विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद ओर आगे बढेगा। ऐसी परिस्थिति में हस्तगत प्रकरण में जारी स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। ताकि पक्षकारान के मध्य विवाद आगे ओर नही बढे। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

7(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी के संबध में प्रार्थीगण/वादीगण का वाद खातेदारी अधिकारों की धोषणा बाबत लाया गया है। जिसमें विवादित आराजी के संबध में पारित नामान्तकरण संख्या 847 एवं विप्रार्थी संख्या 9 से 13 को किया गया बेचान को वादीगण के हको के विरूद्व शून्य एवं निष्प्रभावी का अनुतोष चाहा गया है। जिसका

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय मूलवाद में तय किया जावेगा। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश को अपास्त किया जाता है,तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढ़ेगी तथा पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को खुर्द बुर्द किए जाने की संभावना रहेगी। इस कारण सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

7(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है,क्योकि यदि स्थगन आदेश को हटाया जाता है,तो विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति में फेरबदल होनी की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। ऐसा फेरबदल होने पर प्रार्थी को ही अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी सूरत में प्रार्थी स्थगन आदेश जारी रखवानें का हकदार है। इस कारण अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष

8.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 14.2.2023 को मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

:आदेश:

9..उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 14.2.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21.11.2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
21.11.2024